भारत सरकार
संचार मंत्रालय
दूरसंचार विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1417
उत्तर देने की तारीख 04 दिसम्बर, 2024

दूरसंचार के विकास के लिए आवंटित निधि

1417. श्री भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरेः

क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान दूरसंचार प्रणाली को गति देने, विकसित करने, अधिक प्रभावी बनाने तथा उपभोक्ताओं को लाभ प्रदान करने के लिए निधि आवंटित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार/राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) टेलीफोन/मोबाइल उपभोक्ताओं की लगातार बढ़ती शिकायतों के निवारण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
संचार एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(डॉ. पेम्मासानी चंद्र शेखर)

(क) और (ख) देश के ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करने के लिए पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2021-22 से 2023-24) के दौरान डिजिटल भारत निधि से आवंटित/संवितरित निधि का वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

दिनांक 01.10.2022 को, दूरसंचार क्षेत्र में अनुसंधान, डिजाइन, प्रोटोटाइपिंग, अवधारणा के साक्ष्य परीक्षण, आईपीआर सृजन, क्षेत्र परीक्षण, सुरक्षा, प्रमाणन और उत्पादों के विनिर्माण आदि के लिए ईको-सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए दूरसंचार विभाग (डीओटी), भारत सरकार के डिजिटल भारत निधि (डीबीएन) के तहत एक दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास निधि(टीटीडीएफ) की स्थापना की गई है। टीटीडीएफ के लिए आबंटित निधियां **अनुबंध-II** में दी गई हैं।

(ग) केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) एक ऑनलाइन मंच है जो नागरिकों को सेवा सुपुर्दगी से संबंधित किसी भी विषय पर लोक प्राधिकरणों को अपनी शिकायतें दर्ज करने के लिए 24x7 उपलब्ध है। यह भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों और राज्यों से जुड़ा एक एकल पोर्टल है और यह वेबसाइट www.paportal.gov.in.पर उपलब्ध है।

सीपीजीआरएएमएस में दर्ज शिकायत की स्थिति को शिकायत के पंजीकरण के समय प्रदान की गई विशिष्ट पंजीकरण आईडी से ट्रैक किया जा सकता है। सीपीजीआरएएमएस नागरिकों को, यदि वे शिकायत अधिकारी द्वारा किए गए समाधान से संतुष्ट नहीं हैं तो, अपील करने की सुविधा भी प्रदान करता है। याचिकाकर्ता द्वारा अपील की स्थिति को भी शिकायत पंजीकरण संख्या के साथ ट्रैक किया जा सकता है।

दूरसंचार विभाग सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर नागरिकों द्वारा पंजीकृत शिकायतों पर कार्रवाई कर रहा है। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी), लोक शिकायत निदेशालय (डीपीजी), पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू), राष्ट्रपति सचिवालय और प्रधान मंत्री कार्यालय के पोर्टल पर पंजीकृत लोक शिकायतें भी दूरसंचार विभाग के सीपीजीआरएएमएस पोर्टल पर प्राप्त हुईं। पीजी विंग, दूरसंचार विभाग शिकायतों को संबंधित सेवा प्रदाताओं और दूरसंचार विभाग इकाइयों को अग्रेषित करता है और उनके समय पर निवारण के लिए निगरानी करता है।

अनुबंध- I

पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2021-22 से 2023-24) के दौरान डिजिटल भारत निधि से आवंटित और संवितरित निधि का वर्ष-वार और राज्य-वार विवरण

(करोड़ रुपए में)

क्र.सं.	**राज्यों/संघ राज्यक्षेत्र के नाम**	**वर्ष 2021-22**	**वर्ष 2022-23**	**वर्ष 2023-24**
1	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	86.02	54.43	38.36
2	आंध्र प्रदेश	128.55	806.64	682.28
3	असम	32.74	52.83	247.92
4	बिहार	131.41	132.78	215.62
5	चंडीगढ़	-	0.77	-
6	छत्तीसगढ़	486.92	786.54	296.85
7	गुजरात, दादर और नगर हवेली	200.17	440.42	390.89
8	हरियाणा	30.61	70.87	36.60
9	हिमाचल प्रदेश	10.61	17.51	192.60
10	जम्मू और कश्मीर	15.91	115.05	153.58
11	झारखंड	218.78	165.22	398.62
12	कर्नाटक	94.53	198.62	241.96
13	केरल	39.70	41.81	62.05
14	लक्षद्वीप	150.44	77.84	663.73
15	लद्दाख	0.69	-	42.18
16	महाराष्ट्र (गोवा सहित)	511.37	547.60	1,549.49
17	मध्य प्रदेश	78.46	367.16	408.50
18	पूर्वोत्तर-I (मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा)	14.31	153.98	154.98
19	पूर्वोत्तर-II (अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड)	27.51	166.84	435.42
20	ओडिशा	261.41	370.21	572.68
21	पंजाब	106.27	112.29	100.85
22	पुडुचेरी	-	-	-
23	राजस्थान	132.13	464.33	332.05
24	तमिलनाडु	74.92	107.54	554.14
25	तेलंगाना	1,143.09	63.39	464.14
26	उत्तर प्रदेश	258.61	429.03	305.27
27	उत्तराखंड	9.62	52.98	155.15
28	पश्चिम बंगाल (सिक्किम सहित)	95.34	117.24	95.26
	कुल योग	4,340.12	5,913.92	8,791.17

अनुबंध-।।

टीटीडीएफ के तहत आवंटित निधि

क्र.सं.	**वित्त वर्ष**	**आवंटित निधि (करोड़ रूपये में)**
1.	2022-23	0.00
2.	2023-24	100
3.	2024-25	400.00

****